

उद्योग संचालनालय, मध्य प्रदेश
(वित्तीय सहायता कक्ष)

क्रमांक 13/विसहा/(2)/2012/ 596-656

भोपाल, दिनांक 29.05.2018

प्रति,

1. परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी,
परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय,
समस्त (म. प्र.)
2. महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
समस्त (म. प्र.)

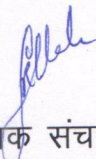
विषय :- विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन करने वाली इकाई को एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017 अंतर्गत सहायता प्रदान करने हेतु आवेदन के साथ उद्योग आधार ज्ञापन लेने के संबंध में।

संदर्भ :- एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017 का बिंदु क्रमांक 4.9

४४४४

विषयांतर्गत लेख है कि एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017 के बिंदु 4.9 अनुसार एमएसएमई इकाई द्वारा शर्तों के अनुरूप विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन करने के पश्चात उसका संयंत्र एवं मशीनरी में कुल निवेश ₹ 10 करोड़ से अधिक परंतु ₹15 करोड़ तक होने पर उसे विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन में किये गये निवेश के लिये योजनान्तर्गत सहायता की पात्रता है। यदि ऐसी इकाईयां एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017 अंतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन करती है, तो उनके वृहद स्तर की होने से उनसे उद्योग आधार ज्ञापन के स्थान पर भारत सरकार द्वारा जारी औद्योगिक लायसेंस अथवा आय.ई.एम. पार्ट-बी प्राप्त किया जाय।

उद्योग आयुक्त द्वारा अनुमोदित


सहायक संचालक, उद्योग
उद्योग संचालनालय, मध्य प्रदेश

पृ. क्रमांक 13/विसहा/(2)/2012/

भोपाल, दिनांक 29.05.2018

प्रबंध संचालक, म. प्र. ट्रायफेक, सेडमेप भवन, जेल रोड, भोपाल।


सहायक संचालक, उद्योग
उद्योग संचालनालय, मध्य प्रदेश